

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी
चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क.-340/2017
संस्थित दिनांक-23.10.2017

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र चंदेरी
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

1. राहुल पुत्र जगदीश अहिरवार उम्र 20 साल
निवासी प्राणपुर तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0
2. चैनू पुत्र हरजुआ अहिरवार उम्र 47 साल
निवासी बिजरावन थाना बामौर कला जिला शिवपुरी म0प्र0

.....अभियुक्तगण

—: निर्णय :—

(आज दिनांक 30.05.2018 को घोषित)

- 01—अभियुक्त राहुल के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 279, 337 दो शीर्ष, एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196, 39/192 के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उसने दिनांक 15.09.2017 को समय 11:15 बजे से 11:20 के मध्य स्थान महुआ के पेड़ के पास प्राणपुर घाटी के नीचे राजघाट रोड चंदेरी में टी0व्ही0एस0 मोटरसाईकिल को बिना डाईविंग लाईसेंस, बिना बीमा एवं बिना रजिस्ट्रेशन कार्ड के उतावलेपन व उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापित किया एवं फरियादी जयदेव दुबे की मोटरसाईकिल में टक्कर मारकर उसे व आहत कमलेश को उपहति कारित की। वही अभियुक्त चैनू के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180, 146/196, 39/192 के दण्डनीय अपराध है कि उसने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर टीव्हीएस मोटरसाईकिल को लोक मार्ग पर बिना बैद्य डाईविंग लाईसेंस, बिना बीमा एवं बिना रजिस्ट्रेशन के अभियुक्त राहुल अहिरवार को चलवाया या चलाने की अनुमति दी।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 15.09.2017 को फरियादी जयदेव अपनी मोटरसाईकिल हीरो प्रो से चंदेरी के लिये घर से आ रहा था, कि सवा 11 बजे करीब फरियादी प्राणपुर से घाटी के नीचे महुआ के पेड़ के पास पहुँचा तो चंदेरी तरफ से राहुल अहिरवार अपनी मोटरसाईकिल तेजी व लापरवाही से चलाकर आया और जयदेव की मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाईकिल गिर पड़ी और जयदेव के दाहिने

पैर के घुटने अंगूठा व दाहिने हाथ के पंजे में चोट आई। राहुल अहिरवार की मोटरसाईकिल पर कमलेश अहिरवार पीछे बैठा था, गिरने से उसे भी चोटें आईं। मौके पर शाहिद खान एवं कमल कुशवाह आ गये थे, जिन्होंने घटना देखी। फरियादी जयदेव की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरुद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक 435/17 अंतर्गत धारा- 279, 337 भा0द0वि0 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 5/180, 39/192, 146/196 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03- प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक 10.05.2018 को फरियादी जयदेव एवं आहत कमलेश द्वारा अभियुक्तगण से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) व 320 (8) द.प्र.स. के प्रस्तुत किये गये जिन्हें स्वीकार करते हुये अभियुक्त राहुल को भा.द. वि. की धारा 337 दो शीर्ष के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। अभियुक्त राहुल पर आरोपित भा0द0वि0 की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196, 39/192 एवं अभियुक्त चैनू पर मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180, 146/196, 39/192 शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्तगण पर विचारण किया गया।

04- अभियुक्तगण को उनके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उन्होने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उन्हें झूठा फंसाया गया है।

05- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

1.	क्या अभियुक्त राहुल ने दिनांक 15.09.2017 को समय 11:15 बजे से 11:20 के मध्य स्थान महुआ के पेड के पास प्राणपुर घाटी के नीचे राजघाट रोड चंदेरी में टी0व्ही0एस0 मोटरसाईकिल को उतावलेपन व उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापित किया ?
2.	क्या अभियुक्त राहुल ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना बीमा के लोग पर चलाया ?
3.	क्या अभियुक्त राहुल अहिरवार ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना बीमा के लोक मार्ग पर चलाया ?
4.	क्या अभियुक्त राहुल अहिरवार ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना रजिस्टेशन कार्ड के लोक मार्ग पर चलाया ?

5.	क्या अभियुक्त चैनू ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को लोक मार्ग पर बिना बैद्य डाईविंग लाईसेंस के अभियुक्त राहुल अहिरवार को चलवाया या चलाने की अनुमति दी ?
6.	क्या अभियुक्त चैनू ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को लोक मार्ग पर बिना बीमा के अभियुक्त राहुल अहिरवार को चलवाया या चलाने की अनुमति दी
7.	क्या अभियुक्त चैनू ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को लोक मार्ग पर बिना रजिस्ट्रेशन के अभियुक्त राहुल अहिरवार को चलवाया या चलाने की अनुमति दी ?
8.	दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 व 8 का विवेचन एवं निष्कर्ष:—

- 06— सुविधा की दृष्टि से एवं प्रकरण में आई साक्ष्य की पुनर्वृत्ति को रोकने के लिये उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों का विवेचन एक साथ किया जाकर निष्कर्ष दिया जा रहा है। फरियादी जयदेव (अ0सा0-01) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि करीब 06-07 माह पहले दिन के 11:00 बजे प्राणपुर से अपने घर चंदेरी मोटरसाईकिल से आ रहा था, तो प्राणपुर घाटी के पास एक अज्ञात मोटरसाईकिल चालक ने उसकी मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी, जिसमें उसे टक्कर लगने से उसे पैरों और हाथों में चोट लगी थी, तथा मौके पर कमल (अ0सा0-02) व शाहिद (अ0सा0-04) आ गये थे, जो उसे घटना स्थल से उठाकर अस्पताल ले गये थे। इस साक्षी का कहना है कि उसने चंदेरी में आने के बाद प्रदर्श पी 01 की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी, जिस पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये हैं।
- 07— फरियादी जयदेव (अ0सा0-01) का अपने न्यायालीन कथनों में ही अभियोजन के विरुद्ध यह कहना है कि अज्ञात मोटरसाईकिल से टक्कर हुई थी मोटरसाईकिल किस कंपनी व किस रंग की थी, यह इस साक्षी ने नहीं बताया तथा जयदेव (अ0सा0-01) का कहना है कि उसे मालूम नहीं है कि टक्कर मारने वाली मोटरसाईकिल कौन चला रहा था। फरियादी ने यह भी स्पष्ट किया है कि अभियुक्त राहुल मोटरसाईकिल नहीं चला रहा था। जयदेव (अ0सा0-01) के द्वारा अपने न्यायालीन कथनों में घटना दिनांक को प्राणपुर घाटी पर अपना मोटरसाईकिल से एक्सीडेंट होने तथा उक्त एक्सीडेंट में घायल होने के संबंध में तो अभियोजन का समर्थन किया है, परन्तु फरियादी ने इस बात पर

अभियोजन का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया है कि जिस मोटरसाईकिल से उसका एक्सीडेंट हुआ था उसे उपेक्षा व उतावलेपन से अभियुक्त राहुल के द्वारा ही चलाकर उपहति कारित की गई थी।

- 08— फरियादी जयदेव (अ0सा0-01) का स्पष्ट कहना है कि घटना कारित करने वाली मोटरसाईकिल को अभियुक्त नहीं चला रहा था। अभियोजन का समर्थन न करने के कारण फरियादी जयदेव (अ0सा0-01) को अभियोजन के द्वारा पक्षविरोधी कर उसका विस्तृत परीक्षण किया गया, परन्तु इस साक्षी ने आरोपित अपराध के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध एवं अभियोजन के समर्थन में कोई कथन नहीं दिये हैं। फरियादी अभियुक्त के संबंध में पुलिस को प्रदर्श पी 01 की देहाती नालसी लेख कराने से इन्कार के साथ पुलिस को भी इस संबंध में प्रदर्श पी 03 के कथन न देना बताता है।
- 09— फरियादी के अनुसार घटना के समय कमल (अ0सा0-02) व शाहिद (अ0सा0-04) ने पहुंचकर उसे अस्पताल पहुंचाया था। अभियोजन की ओर से कमल (अ0सा0-02) व शाहिद (अ0सा0-04) के कथन अपने समर्थन में न्यायालय में कराये गये, परन्तु इन दोनों ही साक्षियों ने अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन का समर्थन न करते हुये घटना की जानकारी होने से ही इन्कार किया है। यह दोनों ही साक्षी इस बात से इन्कार करते हैं कि घटना के समय वह मौके पर थे और उन्होंने फरियादी को अस्पताल पहुंचाया था। अभियोजन की ओर से घटना के अन्य साक्षी कमलेश (अ0सा0-03) के कथन भी न्यायालय में कराये गये हैं जो कि अभियोजन घटना के अनुसार घटना के समय अभियुक्त राहुल की मोटरसाईकिल पर पीछे बैठा था तथा एक्सीडेंट में उसे भी चोटें आई थी।
- 10— कमलेश (अ0सा0-03) ने भी अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन का समर्थन न करते हुये घटना की जानकारी होने से ही इन्कार किया है तथा इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से इस बात का खण्डन किया है कि वह घटना के समय अभियुक्त की मोटरसाईकिल पर पीछे बैठा था। यह साक्षी भी पुलिस को प्रदर्श पी 04 का कथन लेख कराने से ही इन्कार करता है। अतः फरियादी जयदेव (अ0सा0-01) सहित अभियोजन की ओर से परीक्षण कराये गये किसी भी साक्षी का यह कहना नहीं है कि जिस मोटरसाईकिल से फरियादी की एक्सीडेंट हुआ था, उस मोटरसाईकिल को अभियुक्त राहुल ने ही उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर घटना कारित की थी।
- 11— अतः अभिलेख पर अभियुक्त राहुल के विरुद्ध इस आशय की कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है कि उसने घटना दिनांक को लोक मार्ग पर उपेक्षा व उतावलेपन से टी.वी.एस. मोटरसाईकिल को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर फरियादी सहित अन्य का मानव जीवन संकटापित्त किया। प्रकरण में अभियुक्त राहुल के अधिपत्य से टी.वी.एस. मोटरसाईकिल उसके थाने पर प्रस्तुत करने पर जप्त की गई है तथा अभियुक्त राहुल पर यह आरोप भी है कि उसने बिना बीमा डाईविंग लाईसेंस व रजिस्ट्रेशन के उक्त शुदा वाहन को लोक मार्ग पर चलाया तथा अभियुक्त चैनू पर भी यह आरोप है कि उसने

अभियुक्त राहुल से यह जानते हुये लोक मार्ग पर वाहन चलावाया कि अभियुक्त राहुल के पास वाहन चलाने का ड्राइविंग लाईसेंस व वाहन का बीमा व रजिस्ट्रेशन नहीं था।

- 12— निश्चित रूप से बचाव पक्ष की ओर से अपने समर्थन में वाहन का ड्राइविंग लाईसेंस व बीमा व रजिस्ट्रेशन सहित अभियुक्त राहुल का ड्राइविंग लाईसेंस प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह साबित हो सके की घटना दिनांक को वास्तव अभियुक्त राहुल के पास दो पहिया वाहन चलाने का ड्राइविंग लाईसेंस सहित जप्तशुदा वाहन का बीमा व रजिस्ट्रेशन भी था, परन्तु यह उल्लेखनीय है कि किसी व्यक्ति के पास ड्राइविंग लाईसेंस न होना या किसी वाहन का बीमा व रजिस्ट्रेशन न होना अपने आप में कोई अपराध नहीं हैं। अपराध तब होता है कि जब ऐसे दस्तावेज न होने पर भी चालक के द्वारा लोक मार्ग पर उक्त प्रकार के वाहन को चलाया जाये। वर्तमान प्रकरण में यदि यह मान लिया जावे कि अभियुक्त राहुल के पास ड्राइविंग लाईसेंस नहीं है तथा जप्तशुदा वाहन का बीमा व रजिस्ट्रेशन घटना दिनांक को नहीं था, तो मात्र उक्त कारण से अभियुक्तगण के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196, 39/192, 5/180 के आरोप प्रमाणित नहीं होत हैं जब तब की यह साबित न कर दिया जाये कि ऐसे दस्तावेज न होने पर भी अभियुक्त राहुल ने जप्तशुदा वाहन को लोक मार्ग पर चलाया एवं ऐसा करने की अनुमति अभियुक्त चैनू के द्वारा उसे दी गई।
- 13— अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि दिनांक 15.09.2017 को समय 11:15 से 11:20 बजे के मध्य अभियुक्त ने महुआ के पेड के पास प्राणपुर घाटी के नीचे राजघाट चंदेरी रोड पर प्रकरण में जप्तशुदा टी.वी.एस. मोटरसाईकिल को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापित किया और जप्तशुदा वाहन का लोक मार्ग पर चलाया जाना प्रमाणित नहीं है तो उक्त आधार पर यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर टी. व्ही.एस. मोटरसाईकिल को लोक मार्ग पर बिना बैद्य ड्राइविंग लाईसेंस, बिना बीमा एवं बिना रजिस्ट्रेशन के चलाया या चलाने की अनुमति दी।
- 14— फलतः अभियुक्तगण राहुल पुत्र जगदीश अहिरवार को भा.द.वि. की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196, 39/192 एवं अभियुक्त चैनू पुत्र हरजुआ अहिरवार को मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180, 146/196, 39/192 के आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्तगण राहुल पुत्र जगदीश अहिरवार को भा.द.वि. की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196, 39/192 एवं अभियुक्त चैनू पुत्र हरजुआ अहिरवार को मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180, 146/196, 39/192 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 15— अभियुक्तगण का धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्तगण के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में जुप्तशुदा वाहन टी.

व्ही.एस. मोटरसाईकिल वाहन के पंजीकृत स्वामी को वाद तस्दीक उपरांत वापस करने का आदेश दिया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी
जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी
जिला अशोकनगर (म.प्र.)